103

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक : 3778-तीन/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-8-2014 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 420/13-14 अपील

मोहनलाल कोल पुत्र सहदेव कोल
ग्राम करमई तहसील सेमरिया जिला रीवा
हाल मुकार निपनिया रीवा तहसील हुजूर
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलान्ट के अभिभाषक श्री आर0यू0एस0तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 09 - 03 -2018 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 420/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30 अगस्त, 2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने कलेक्टर रीवा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उसके नाम अभिलिखित ग्राम करमई की भूमि सर्वे क्रमांक 184 एंव 185 कुल किता 2 कुल रकबा 1-113 हैक्टर के विक्रय की अनुमति दिये जाने की मांग की। कलेक्टर जिला रीवा ने प्र0क्र0 7 अ-21

2013-14 पॅजीबद्ध किया तथा आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की तहसीलदार सेमरिया से जांच कराकर आदेश दिनांक 14 मार्च 2014 पारित किया तथा अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 420/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30 अगस्त, 2014 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने। उनके व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपील मेमो में अंकित आधारों , लेखी बहस के तथ्यों के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक जाति का कोल (अ0ज0जा0) का है कलेक्टर जिला रीवा ने आदेश दिनांक 14-3-14 में इस प्रकार निष्कर्ष अंकित किया है :-

" प्रकरण में लगी बी-1 की नकल तथा भू अधिकार एंव अन्य प्रतियों की फोटो प्रति देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक के पास मात्र दो ही खसरा नंबर 184 एंव 185 रकबा 1-113 हैक्टयर की भूमि है और यह पूरी भूमि बेच देने पर वह भूमिहीन हो जायेगा। "

अपीलांट ने विक्रय अनुमति आवेदन में भूमि विक्रय का जो आधार बताया है उसके अनुसार पत्नी की बीमारी के लिये पैसा की आवश्यकता होना बताया है, जबकि मध्य प्रदेश शासन की उदार नीति के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल एंव नजदीकी चिकित्सा महाविद्यालयों में निःशुल्क उपचार व्यवस्था है। यदि अपीलांट की पत्नि गंभीर बीमारी से पीड़ित है तव वह मुख्य मंत्री बीमारी सहायता योजनान्तर्गत भी सहायता प्राप्त कर सकता है जिसके कारण मध्य प्रदेश शासन से उसे भरण-पोषण एंव परिवार संचालन हेतु दी गई भूमि के विक्रय की अनुमति न देने में कलेक्टर रीवा ने किसी प्रकार की भूल नहीं की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने भी कलेक्टर रीवा के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्र0क0 7 अ-21/

2013-14 में पारित आदेश दिनांक 14 मार्च 2014 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 420/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30 अगस्त, 2014 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन अपील में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 420/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30 अगस्त, 2014 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर